सत्यमेव जयते

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

दर्ज तिथि:– 09.07.2024

प्रार्थना पत्र सं.:– 2024/35

1. उम्मेदसिंह पुत्र मोटाराम जाति दरोगा निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू

................प्रार्थी

**बनाम**

1. ओकारसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद दिल्या तहसील व जिला चूरू
2. करणीसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद दिब्या तहसील व जिला पुरु
3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला
4. निर्मल कंवर पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील जिला चूरू
5. रतनसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला तुरु
6. हवाकंवर पत्नी देवीसिह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
7. करणीसिंह पुत्र ईसरसिह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील चूरू जिला चूरू
8. धनकंवर पत्नी ईसरसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
9. भवानीसिंह पुत्र ईसरसिह जाति राजपूत निवासी कोटवाद दिब्या तहसील व जिला चूरू
10. प्रेमकंवर पुत्री भगवानसिह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्या तहसील जिला चूरू
11. बजरंगसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
12. बिरम कंवर पत्नी भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
13. मदनकंवर पुत्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील जिला चूरू
14. सरोज कंवर पुत्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील य जिला चूरू
15. हनुमानसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
16. भावना पुत्री यतनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
17. मन्जू कंवर पत्नी यतनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
18. राहुलसिंह पुत्र यतनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
19. मुकुन्दसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील जिला चूरू
20. योगेन्द्रसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
21. रूकमणकंवर पत्नी जीवनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
22. हुकमसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील जिला चूरू
23. हर्षकंवर पुत्री जीवनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
24. हरिसिंह पुत्र मोटाराम जाति दरोगा निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
25. नरेन्द्रसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
26. प्रेमकवर पुत्री रामेश्वरसिंह जाति दरोगा। निवासी कोटवाद दिल्या तहसील जिला चूरू
27. देवीसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
28. मंगलसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

29. राजेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
30. भीवसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील व जिला चूरू
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
32. उप–पंजीयक चूरू

................. अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री हनुमानसिंह राठौड़
अप्रार्थी सं. 1 ता 23ः– श्री सुरेन्द्र डूडी
अप्रार्थी सं. 24, 25, 28 ता 30ः– श्री शिवसिंह राठौड़

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

## निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी उम्मेद सिंह द्वारा यह प्रार्थना–पत्र खसरा संख्या 234, स्थित रोही मौजा कोटवाद टिब्बा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थी का मुख्य कथन है कि वह और गौण प्रतिवादीगण संख्या 24 से 30 उक्त भूमि के विधिक वारिसान एवं संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार हैं । प्रार्थी के अनुसार, मुख्य प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 वर्तमान में सलामपुर में निवास कर रहे हैं और उनका मौके पर कभी कोई कब्जा या दखल नहीं रहा है । प्रार्थी का आरोप है कि अप्रार्थीगण दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने एवं सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने की चेष्टा कर रहे हैं ।
2. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 23 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डूडी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 24, 25, 28 ता 30 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 31 भूमिधारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की ओर मुख्य रूप से निम्नानुसार जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गयाः–
   - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है । प्रार्थी ने स्वयं को खसरा संख्या 234 का एकमात्र काबिज काश्तकार बताया है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड के पूर्णतः विपरीत है ।
   - प्रार्थी का यह कथन सर्वथा गलत है कि अप्रार्थीगण सलामपुर में निवास करते हैं और उनका मौके पर कब्जा नहीं है । वा[illegible] वादगत भूमि के सह–खातेदार हैं और मौके पर अपने हिस्से के अनुसार का[illegible] कृषि कार्य कर रहे हैं । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रामप्रसाद का शपथ–प[illegible]
   - प्रार्थी को अप्रार्थीगण से कोई विधिक [illegible] क्षति होने की संभावना नहीं है । प्रार्थी स्वयं अप्रार्थीगण को उनके विधिक हिस्से [illegible] बेदखल करने की नियत से यह स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

- चूंकि अप्रार्थीगण सह–खातेदार हैं, अतः उन्हें अपनी ही भूमि पर कृषि कार्य करने से रोकना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा । सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि स्टे होने की स्थिति में अप्रार्थीगण को भारी आर्थिक हानि होगी ।
- प्रार्थी ने सीमाओं के साथ छेड़छाड़ का जो आरोप लगाया है, वह निराधार है । प्रार्थी स्वयं सीमा चिह्नों को नष्ट कर अप्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है ।

विशेष कथन

- प्रार्थी उम्मेद सिंह व गौण प्रतिवादीगण (24 से 30) और मुख्य अप्रार्थीगण (1 से 23) एक ही परिवार के सदस्य एवं संयुक्त खातेदार हैं ।
- संयुक्त खातेदारी में किसी भी एक खातेदार को दूसरे सह–खातेदार के विरुद्ध तब तक स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि वह अपना विशिष्ट हिस्सा और अनन्य कब्जा सिद्ध न कर दे ।
- प्रार्थी ने यह वाद केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने और भूमि खुर्द–बुर्द करने की नियत से पेश किया है ।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर पत्रावली बहस में नियत की जाकर उभय पक्षकारान की सीधे बहस सुनी गई।

   - प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी उम्मेद सिंह खसरा संख्या 234, स्थित रोही कोटवाद टिब्बा का जायज वारिस एवं संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर 70 वर्षों से पुराना, शान्तिपूर्ण और प्रभावी भौतिक कब्जा चला आ रहा है। मुख्य प्रतिवादीगण (संख्या 1 ता 23) वर्तमान में कोटवाद टिब्बा में निवास न कर सलामपुर में स्थाई रूप से अपने–अपने व्यवसाय में स्थापित हैं और उनका वादगत भूमि पर कभी कोई कब्जा या दखल नहीं रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता ने गवाहों के शपथ–पत्रों का विशेष हवाला देते हुए तर्क दिया कि गवाह लालचन्द पुत्र कानाराम, गोपराम पुत्र लिछमनसिंह, हनुमानाराम पुत्र राजुराम, रामचन्द्र पुत्र घीसाराम, गिरधारी राम पुत्र राजू राम, नेतराम पुत्र हरचन्द, रामप्रसाद पुत्र निराणाराम, ने शपथ–पूर्वक तस्दीक की है कि खसरा संख्या 234 पर प्रार्थी उम्मेद सिंह व अन्य वारिसान का ही कब्जा है. गवाह ने यह भी पुष्ट किया है कि प्रतिवादीगण सलामपुर में अपने व्यवसाय में लगे हैं और उनका मौके पर कोई दखल नहीं है. गवाह का खेत प्रार्थी के खेत के समीप उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण उसे मौके के कब्जे की पूर्ण व सटीक जानकारी है. अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि प्रतिवादीगण अकारण प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप करने और सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने की धमकी देते हैं. यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण को वर्जित नहीं किया गया, तो प्रार्थी को अपूरणीय विधिक क्षति होगी।
   - अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी का मौके पर कोई प्रभावी कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं और कानूनन अपनी भूमि का उपभोग करने के अधिकारी हैं। उनके [illegible] मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान करने और उनके विधिक अधिकारों के [illegible] बाधा डालने के उद्देश्य से यह आधारहीन पत्रावली न्यायालय के [illegible] 234 एक संयुक्त खाते की भूमि है. स्थापित विधिक सिद्धांतों [illegible] खातेदार दूसरे सह–खातेदार के विरुद्ध तब तक निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता जब [illegible] कि वह अपना विशिष्ट हिस्सा और अनन्य कब्जा विधिक रूप से सिद्ध न कर दे। गवाहों के शपथ–पत्र तथ्यहीन, एकतरफा और प्रार्थी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण है। गवाह ने जानबूझकर प्रतिवादीगण के पैतृक अधिकारों और उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

विधिक कब्जे को छुपाने का प्रयास किया है। मात्र सलामपुर में व्यवसाय होने से प्रतिवादीगण का अपनी पैतृक भूमि से विधिक कब्जा समाप्त नहीं हो जाता. वे भी बराबर के हिस्सेदार हैं और भूमि के उपभोग का पूर्ण विधिक अधिकार रखते हैं। अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि प्रार्थी स्वयं प्रतिवादीगण को उनके विधिक अधिकारों से वंचित करना चाहता है. सुविधा का संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में है क्योंकि स्टे जारी होने से उन्हें अपनी ही भूमि के उपभोग में अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे ।

4. यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं उभय पक्षकारान की बहस का परिशीलन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के विधिक सिद्धांतों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के परिप्रेक्ष्य में विवेचना निम्न प्रकार हैः–

- प्रथम दृष्टया मामला एवं कब्जे की स्थितिः यद्यपि प्रार्थी ने 70 वर्षों के कब्जे का तर्क दिया है, किंतु रिकॉर्डेड खातेदारी अप्रार्थीगण के पक्ष में होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला विवादित श्रेणी में आता है। संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक सह–खातेदार का दूसरे के विरुद्ध पूर्ण स्थगन आदेश प्राप्त करना विधिक रूप से तब तक कठिन है जब तक कि विशिष्ट विभाजन सिद्ध न हो। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case) स्थापित नहीं होता है।
- सुविधा का संतुलनः चूंकि अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं, अतः उन्हें अपनी विधिक भूमि के विनिमय या उपयोग से वर्जित करना उनके प्रति विधिक असुविधा उत्पन्न करेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र मात्र से ही प्रतिवादीगण के विधिक स्वत्व को दौराने दावा समाप्त नहीं माना जा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से अप्रार्थीगण के पक्ष में है।
- अपूर्णीय क्षति : प्रार्थी यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि स्थगन आदेश न मिलने की स्थिति में उसे ऐसी क्षति होगी जिसकी भविष्य में विधिक क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। प्रार्थी वादगत भूमि का न तो रिकॉर्डेड खातेदार है और न ही मौके पर काश्तकार, अतः प्रार्थना–पत्र खारिज होने से उसे कोई 'अपूर्णीय विधिक क्षति' नहीं पहुँचती है।

5. अतः इस संबंध में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति स्थापित नहीं होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय निम्न आदेश पारित करता हैः–

**आदेश है कि**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, उपर्युक्त कारणों के आधार पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश मेरे द्वारा [illegible] लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू